GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी।
3. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
4. प्रधानाचार्य / मुख्य अध्यापक।
5. मुख्य शिक्षक / SMC प्रधान

यादी क्रमांकः– 20/4-2025 ACD (1)
दिनांकः– 20.08.2026

विषयः– **राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों (GPS) में साफ–सफाई, हाउसकीपिंग तथा बागवानी इत्यादि के लिये निर्दिष्ट कार्य करवाने तथा बजट खर्च करने के सन्दर्भ में दिशानिर्देश।**

******

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के **पत्र क्रमांक 20/4-2025 ACD (1) दिनांक 29.04.2026 (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में।**

विषयांकित मामले में संदर्भित पत्र के तहत सत्र 2026–27 के लिये ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनमें साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु **Part Time Worker कार्य नहीं** कर रहे हैं, उनके प्रांगण की सफाई, छत की सफाई, शौचालयों व खेल के मैदान की सफाई, जल भराव / निकासी का प्रबन्ध इत्यादि कार्यों के लिए विभाग द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों (GPS) को 8,000/– प्रति विद्यालय प्रति मास की दर से *"Head 2202-General Education, 01 Elementary Education, 800 Other Expenditure, (91)-SwaranJayanti Programme 99 – Swachh Prangan 34 – Other Charges* के तहत DEEO as BCO राशि जारी की गई थी।

यहां स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राशि प्रत्येक मास के लिए है तथा उक्त मद में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10 मास के लिए (विद्यालय अवकाश अवधि को छोड़कर) प्रावधान करवाया जाता है। तदनुसार सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा SMC के माध्यम से निर्दिष्ट कार्यों के लिए मासिक आधार पर यह राशि खर्च करवाना सुनिश्चित करवाएं।

नोटः– जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद, गुरूग्राम तथा झज्जर कृपया स्पष्ट करें कि विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु पूर्व में जारी की गई राशि को अब तक सम्बन्धित विद्यालयों को आबंटित क्यों नहीं किया गया।

सलंग्नः– पत्र क्रमांक 20/4-2025 ACD (1) दिनांक 29.04.2026 की प्रति।

20.08.2026
सहायक निदेशक (शैक्षणिक शाखा)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला 20.08.2026**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजी सहायक, माननीय संयुक्त निदेशक (प्रशा.)।
3. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को उक्त पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निवेदनार्थ।

20.08.2026
सहायक निदेशक (शैक्षणिक शाखा)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला